

(11)

दिनांक 27.10.2021 को जिलाधिकारी खीरी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 27.10.2021 को जिलाधिकारी खीरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कलेक्ट्रेट सभागार खीरी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे।

- 1- जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।
- 3- जिला विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी लखीमपुर खीरी।
- 5- जिला थारु जनजाति के विकास कार्यों के परियोजना अधिकारी।
- 6- जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, प्रथम लखीमपुर खीरी।
- 8- अधिशासी अभियन्ता ग्राउन्ड वाटर, नलकूप खण्ड, प्रथम लखीमपुर खीरी।
- 9- जिला सूचना अधिकारी एवं जनसम्पर्क अधिकारी लखीमपुर खीरी।
- 10- जिला पंचायत राज अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
- 11- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई।
- 12- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, जल निगम लखीमपुर खीरी।
- 13- श्री बी0एस0एस0 मल्लिका अर्जुन मै0 एन0सी0सी0 लि0।
- 14- सहायक अभियन्ता जल निगम।

बैठक में सर्वप्रथम जल जीवन मिशन से सम्बन्धित कराये जाने वाले कार्यों एवं इस योजना से सम्बन्धित जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी उपस्थित सभी अधिकारियों को दी गयी। जिसमें अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि डी0पी0आर0 तैयार करते समय जिन पाइप पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 में रोड कटिंग एवं पुनर्स्थापना की लागत परियोजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली की लागत के 25 प्रतिशत से अधिक है, उनकी रोड कटिंग की मात्रा का स्थलीय सत्यापन आवश्यक है, एवं परियोजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत 6000.00 रु0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

तदोपरान्त जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै0 एन0सी0सी0 लि0 एन0 सी0सी0 हाउस 5 वॉ तल सर्वे न0 64 माधापुर हैदराबाद द्वारा विरचित 29 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया। उपरोक्त 29 परियोजनाओं में से 15 परियोजनाओं में रोड कटिंग एवं पुनर्स्थापना की लागत परियोजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली की लागत के 25 प्रतिशत से अधिक पायी गयी एवं इन 15 परियोजनाओं में से 9 परियोजनाओं की रोड कटिंग की मात्रा का सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों/अवर अभियन्ता ग्रामीण विकास अभियंत्रण द्वारा कराया गया एवं 6 परियोजनाओं का सत्यापन जल निगम के अभियन्ताओं द्वारा कराया गया जिसमें दो परियोजनाओं क्रमशः राजगढ़ एवं खजुहा को छोड़कर शेष के डी0पी0आर0 में रोड कटिंग की मात्रा सही पायी गयी।

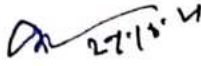
उपरोक्त 2 परियोजनाओं में जो कमियां पायी गयी उन्हें डी0पी0आर0 में जल निगम एवं एन0सी0सी0 की टीम द्वारा सुधार कर दिया गया है। दोबारा सत्यापन की गयी परियोजनाओं एवं सत्यापन कर्ताओं का विवरण निम्नानुसार है।

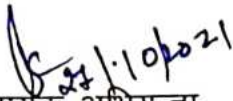
विकास खण्ड का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की कुल लागत (रु० लाख में)	दोबारा सत्यापन करने वाली टीम का विवरण	टिप्पणी
कुम्भी गोला	राजगढ़	302.71	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/जू०इ० आर०ई०डी०	स्थल पर रोड कटिंग की मात्रा डी०पी०आर० के अनुसार नहीं पायी गयी। जिसे जल निगम एवं एन०सी०सी० द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० में वास्तविकता के आधार पर ठीक करा दिया गया है।
2 कुम्भी गोला	सिकन्दराबाद	591.42	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/जू०इ० आर०ई०डी०	स्थल पर रोड कटिंग डी०पी०आर० के अनुरूप पायी गयी।
3 कुम्भी गोला	मूड़ाजवाहर	395.97	जल निगम एवं एन०सी०सी० के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी०पी०आर० के अनुरूप पायी गयी।
4 धौरहरा	बसन्तापुर	289.57	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/जू०इ० आर०ई०डी०	स्थल पर रोड कटिंग डी०पी०आर० के अनुरूप पायी गयी।
5 निघासन	सेधौना	445.69	जल निगम एवं एन०सी०सी० के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी०पी०आर० के अनुरूप पायी गयी।
6 निघासन	दुबहा	627.99	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/जू०इ० आर०ई०डी०	स्थल पर रोड कटिंग डी०पी०आर० के अनुरूप पायी गयी।
7 रमियांबेहड़	तकई कुण्डा	285.07	जल निगम एवं एन०सी०सी० के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी०पी०आर० के अनुरूप पायी गयी।
8 रमियांबेहड़	चन्दपुरा	321.08	जल निगम एवं एन०सी०सी० के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी०पी०आर० के अनुरूप पायी गयी।
9 रमियांबेहड़	मल्लबेहड़	299.52	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/जू०इ० आर०ई०डी०	स्थल पर रोड कटिंग डी०पी०आर० के अनुरूप पायी गयी।
10 रमियांबेहड़	संकल्पा	364.90	जल निगम एवं एन०सी०सी० के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी०पी०आर० के अनुरूप पायी गयी।
11 रमियांबेहड़	सरपतहा	320.72	जल निगम एवं एन०सी०सी० के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी०पी०आर० के अनुरूप पायी गयी।
12 रमियांबेहड़	अकठी	263.81	जल निगम एवं एन०सी०सी० के अभियन्ता	रोड कटिंग डी०पी०आर० के अनुरूप पायी गयी।
13 मोहम्मदी	असौवा	251.90	जल निगम एवं एन०सी०सी० के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी०पी०आर० के अनुरूप पायी गयी।
14 मोहम्मदी	बौवन	284.73	जल निगम एवं एन०सी०सी० के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी०पी०आर० के अनुरूप पायी गयी।

	मोहम्मदी	गोकन	362.87	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी / जू0इं0 आर0ई0डी0	स्थल पर रोड कटिंग डी0पी0आर0 के अनुरूप पायी गयी।
	मोहम्मदी	बेनी राजपुर	525.87	जल निगम एवं एन0सी0सी0 के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी0पी0आर0 के अनुरूप पायी गयी।
	बेहजम	बसारा	256.80	जल निगम एवं एन0सी0सी0 के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी0पी0आर0 के अनुरूप पायी गयी।
18	बेहजम	घोघुलपुर बुजुर्ग	313.31	जल निगम एवं एन0सी0सी0 के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी0पी0आर0 के अनुरूप पायी गयी।
19	बेहजम	पैला	381.24	जल निगम एवं एन0सी0सी0 के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी0पी0आर0 के अनुरूप पायी गयी।
20	बेहजम	खजुहा	309.19	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी / जू0इं0 आर0ई0डी0	स्थल पर रोड कटिंग की मात्रा डी0पी0आर0 के अनुसार नहीं पायी गयी। जिसे जल निगम एवं एन0सी0सी0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में वास्तविकता के आधार पर ठीक करा दिया गया है।
21	बेहजम	सियाथू	327.57	जल निगम एवं एन0सी0सी0 के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी0पी0आर0 के अनुरूप पायी गयी।
22	बेहजम	मूड़ाअर्जुन	265.00	जल निगम एवं एन0सी0सी0 के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी0पी0आर0 के अनुरूप पायी गयी।
23	पलिया	इब्राहिमपुरी कालोनी	304.72	जल निगम एवं एन0सी0सी0 के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी0पी0आर0 के अनुरूप पायी गयी।
24	पलिया	भानपुरी कालोनी	383.74	जल निगम एवं एन0सी0सी0 के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी0पी0आर0 के अनुरूप पायी गयी।
25	फूलबेहड़	सर्वा	625.76	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी / जू0इं0 आर0ई0डी0	स्थल पर रोड कटिंग डी0पी0आर0 के अनुरूप पायी गयी।
26	फूलबेहड़	हिन्दोलना	340.85	जल निगम एवं एन0सी0सी0 के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी0पी0आर0 के अनुरूप पायी गयी।
27	फूलबेहड़	पिपरावां	352.58	अधिशासी अभियन्ता जल निगम	स्थल पर रोड कटिंग डी0पी0आर0 के अनुरूप पायी गयी।
28	बिजुआ	महेशापुर	266.51	जल निगम एवं एन0सी0सी0 के अभियन्ता	स्थल पर रोड कटिंग डी0पी0आर0 के अनुरूप पायी गयी।
29	नकहा	गौरिया भीलम	330.86	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी / जू0इं0 आर0ई0डी0	स्थल पर रोड कटिंग डी0पी0आर0 के अनुरूप पायी गयी।

जल निगम के सहायक अभियन्ता श्री वाई०के० नीरज द्वारा बैठक में बताया गया कि शेष 14 डी०पी०आर० की जांच जल निगम के सहायक अभियन्ताओं के स्तर से कर ली गयी है, जो सही पाये गये। इस प्रकार समिति के समक्ष प्रस्तुत सभी 29 नग डी०पी०आर को सर्वसम्मति से राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

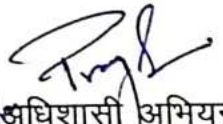
अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समिति में लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त 29 नग परियोजनाओं का डी०पी०आर० (निर्धारित प्रारूप-44 कालम पर) अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उ०प्र० जल निगम 6- राणा प्रताप मार्ग लखनऊ को प्रेषित किया जाय। तत्पश्चात सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।


अधिशासी अभियन्ता
जल निगम
समिति सचिव


सहायक अभियन्ता
लघुसिंचाई

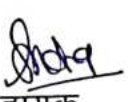

जिला पंचायत
राज अधिकारी,
लखीमपुर
खीरी।


जिला थरु जमीनजाति के
विकास कार्यों के
परियोजना अधिकारी


अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड
लखीमपुर खीरी।


जिला सूचना
अधिकारी,
लखीमपुर
खीरी।


मुख्य
चिकित्साधिकारी
लखीमपुर खीरी।


सहायक
अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड
प्रथम लखीमपुर
खीरी।


प्रभागीय विनाधिकारी
लखीमपुर खीरी।


जिला विकास
अधिकारी लखीमपुर
खीरी।
जिला विकास अधिकारी
लखीमपुर-खीरी


मुख्य विकास अधिकारी
लखीमपुर खीरी।
उपाध्यक्ष


जिलाधिकारी
लखीमपुर खीरी।
अध्यक्ष